

2

स्थापना शाखा
(गोपनीय)

-1-

विषय: सूचनार्थ पत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।

पंजी. 3328, 3393/21-अ(स्था.)

कृपया विचाराधीन पत्र क्र. एफ 2-87/2016/26-2 दिनांक 28.07.2016 एवं क्र. 8199/2016/सड़सठ, दिनांक 18.10.2016 का अवलोकन कीजिए।

(1) प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ने अपने पत्र में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्रता के मापदण्डों एवं दरों में किये गए परिवर्तन के संबंध में जारी आदेश की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित की है।

(2) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, आनन्द विभाग ने अपने पत्र में राज्य आनन्द संस्थान हेतु निदेशक के 2 तथा उप निदेशक के 4 पदों की पूर्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये हैं।

अतः यदि मान्य हो तो उपरोक्त दोनों पत्र विभाग में प्रचलित इंटरनेट सिस्टम पर शासकीय सेवकों हेतु सूचनार्थ अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।

अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रस्तुत।

प्रशा. अधिकारी (स्था.)

वरिष्ठ लेखाधिकारी

ऊपर स्तंभित (IT)

22/10/16
22x/11

हार्द

24
22.10

(1)

मध्यप्रदेश शासन
आनन्द विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक: 8199/2016/सड़सठ

भोपाल, दिनांक 18 OCT 2016

प्रति,

- 1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।
- 2 समस्त, विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश
- 3 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
- 4 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय :- राज्य आनन्द संस्थान हेतु निदेशक/उप निदेशक के पद की पूर्ति बावत्।

:-

आनन्द विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाईटी के रूप में राज्य आनन्द संस्थान का गठन किया गया है। इस संस्थान के कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संस्थान हेतु निदेशक के 2 पद तथा उप निदेशक के 4 पदों की पूर्ति के लिये योग्य अधिकारियों की आवश्यकता है। निदेशक के पदों की पूर्ति उप सचिव/अपर कलेक्टर/संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों से एवं उप निदेशक के पदों की पूर्ति डिप्टी कलेक्टर/अवर सचिव/उप संचालक स्तर के अधिकारियों से की जाना है। आपके विभाग में इन श्रेणी के जो भी अधिकारी इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने हेतु इच्छुक हों तो उनसे उनकी सहमति प्राप्त कर प्रतिनियुक्ति हेतु उनके नाम दिनांक 05.11.2016 तक आनन्द विभाग के ई-मेल एकाउन्ट anandsainsthanmp@gmail.com पर प्रेषित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इकबाल सिंह वैस)

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, आनन्द विभाग

18X

50 (4)

an
20625

य आनन्द संस्थान के अन्तर्गत कार्यों का विवरण

- आनन्द एवं सकुशलता को मापने के पैमानों की पहचान करना तथा उन्हें परिभाषित करना।
- राज्य में आनन्द का प्रसार बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन के लिये दिशा-निर्देश तय करना।
- आनन्द की अवधारणा का नियोजन नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाना।
- आनन्द की अनुभूति के लिये एक्शन प्लान एवं गतिविधियों का निर्धारण।
- निरन्तर अन्तराल पर मापदण्डों पर राज्य के नागरिकों की मनःस्थिति का आंकलन करना।
- आनन्द की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना।
- आनन्द के प्रसार के माध्यमों, उनके आंकलन के मापदण्डों में सुधार के लिये लगातार अनुसंधान करना।
- आनन्द के विषय पर एक ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2010

मंत्रि-परिषद् द्वारा जिनके तहत निर्माण के वरिष्ठतम
कार्यों का कार्य करने में विभागानुसार परिवर्तन

7-52
1952

समाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-67/2010/26-2 के अन्तर्गत समाज न्यायिक सुरक्षा

[illegible]

पुनरीक्षित दर माह सितम्बर 2016 से प्रकाशनीय होयी जिसका वार्षिक लाभ 2016 से प्राप्त होगा।

[illegible]

अक्टूबर 2016 से प्राप्त होगा।
समाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक 1.1 से 1.3 तक यथावत
प्रमाणित कर दिया गया है।
प्रमाणित कर दिया गया है।

किसी भी दिने मधे पात्रता के मापदण्डों के अन्तर्गत मरिचीयों जोड़ी जाती हैं -
 1. 18 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष आयु के दिव्यांग जिनकी शिक्षा 40% या उससे अधिक है तथा जो मरीची रेशा के नीचे जीवन-यापन के योग्य हैं या हो जाने वाली हैं।
 2. 12 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु के दिव्यांग जिनकी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के माप से ही जाहगी।
 3. 12 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु के दिव्यांग जिनकी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के माप से ही जाहगी।
 4. 12 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु के दिव्यांग जिनकी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के माप से ही जाहगी।

[illegible]

2-874
21/9/18
- (9-18)

वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतर्वासी, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, निजान द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में निवासरत अंतर्वासियों को पेंशन की राशि उपाय
वृद्धाश्रमों द्वारा स्वीकृत की जाएगी जिसकी सीमा के भीतर वृद्धाश्रम संचालित हैं और
किररी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों। वृद्धाश्रमों में निवासरत
की पेंशन का पंजीयन संयुक्त/रूप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निश्वस्तजन कल्याण द्वारा
उपरोक्त के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी तथा
नियमित अंतराल पर संचालक द्वारा पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रचलित
की जाएगी।

105

समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आदेश/परिपत्र क्रमांक एच. 2-27/2010/26-2, दिनांक 22.06.2013 में अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन.

मध्य प्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग